न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 375/16
निर्णय दिनांक: 22.05.2018

1. सुवाराम पुत्र देवा जाति जाट नि0 रसूलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
वादी

बनाम

1. मुन्नाराम पुत्र किशना
2. काना पुत्र रामला
3. बोदू पुत्र देवा
4. हनुमान पुत्र देवा
5. मोटाराम पुत्र उदाराम
6. कानाराम पुत्र उदाराम
7. खांगाराम पुत्र उदाराम
8. नारायण पुत्र उदाराम

समस्त जाति जाट नि0 रसूलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खं0नं0 1192/4 श.न. 1230 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 1192/5 श.न. 1230 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1192/6 रकबा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 15 विस्वा वाकै ग्राम रसूलपुरा प0ह0 काजीपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सें अनुसार काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त आराजीयात की भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 को उनके बुजुर्ग उदा पुत्र जेता से विरासत में मिली है उक्त भूमि का पर्चा सेटलमेन्ट उदा पुत्र जैता के नाम से खं0नं0 1192/1230 रकबा 24 बीघा 15 विस्वा अन्य खं0नं0 886 रकबा 7 बीघा 1 विस्वा किता 2 कुल रकबा 32 बीघा वाकै ग्राम काजीपुरा वर्तमान गांव रसूलपुरा का आया था। उक्त भूमि के पर्चा सेटलमेन्ट खं0नं0 1192/1230 के वर्तमान जमाबन्दी वाकै ग्राम रसूलपुरा के खं0नं0 1192/4 श.नं. 1230 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 1192/5 श.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1192/6 रकबा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 15 विस्वा है

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 काबिज काश्त है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही राजस्व नक्शें में तरमीम की हुई है जिसके पर्चा सेटलमेन्ट के खं0नं0 1192/1230 अंकित है जो पर्चा सैटलमेन्ट के समय बनाये गये लटठा ट्रेस में अंकित किया हुआ था लेकिन वर्तमान मे राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से उक्त नक्शा ट्रेस की तरमीम को हटाते हुये उक्त भूमि खं0नं0 1192/1230 की पूर्व दिशा की ओर लगवा भूमि 1192 के नक्शें में शामिल करदिया है जो गलत किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 आराजी खं0नं0 1192/2 व 1192/3 के खातेदार काश्तकार है जो वादीगण की आराजीयात के पड़ौसी काश्तकार है तथा राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की आराजीयात के राजस्व नक्शें में सही तरमीमी को हटाकर गलत खं0नं0 1192 में वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की भूमि को गलत तरीकें से नक्शें में अंकित कर दिये जाने से उसका नाजायज फायदा प्रतिवादी सं0 1 व 2 उठाना चाहते है ओर वर्तमान नक्शा खं0नं0 1192 में गलत तरमीम करवाना चाहते है जिससे वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की खं0नं0 1192/4 श.नं. 1230 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 1192/5 श.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1192/6 रकबा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 15 विस्वा की भूमि को गलत तरीकें से शामिल हो रखी है जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की उक्त भूमि की पूर्व से ही तरमीम हो रखी है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 उक्त वादी व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 8 की आराजीयात की तरमीम जो पर्चा सेटलमेन्ट के समय से हो रखी थी उसको वर्तमान राजस्व नक्शें में गलत तरीकें से हटा दिये जाने से उसका नाजायज फायदा उठाते हुये पुनः अपनी मनमर्जी से प्रतिवादी सं0 9 से साजकर राजस्व नक्शें में तरमीम करवानें के लिए दिनांक 27.05.16 को राजस्व लोक अदालत/केम्प काजीपुरा में आये ओर गलत तरमीम करवाने लगे जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं0 9 को राजस्व नक्शें में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कहे अनुसार तरमीम उसकी मनमर्जी से करने के लिए मना किया ओर पर्चा सेटलमेन्ट के समय से चली आ रही तरमीम को कायम करने को कहा तो प्रतिवादी सं0 9 ने इंकार कर दिया ओर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कहे अनुसार नक्शें में फेरबदल करने को कहा जबकि प्रतिवादी सं0 9 को कानूनन ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह सेटलमेन्ट के नक्शें में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के कहेनुसार फेरबदल करे इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 19.05.17 को पत्रावली फोलोअप केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 8 ने प्रा0पत्र पेश किया उक्त प्रकरण में अभियान दौरान सीमा निर्धारण नहीं हो पाई पटवारी व गिरदावर से सीमा का नाप करवाई तो सीमाओं का काफी अन्तर आ रहा है प्रतिवादी सं08 ने निवेदन किया कि

Scanned by CamScanner

प्राईवेट/सेटलमेन्ट विभाग तथा व पटवारी व गिरदावर की जाँच सिफारिश करवाई जाकर नाप करवानें का निवेदन कर साथ ही अपना खर्चा वहन करना भी स्वीकार किया जिस पर प्राईवेट स्टार/सेटलमेन्ट विभाग से नाप करवाने हेतु आदेशित किया गया। इसी विवादित खं0नं0 1192 वाकै ग्राम रसूलपुरा के नक्शों में तरमीम का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 131,136व 112 भूराजस्व अधिनियम के तहत मान्य न्यायालय में एक प्रा0पत्र सं0 139/17 उनवानी काना वगै0 बनाम राज0 सरकार का पेश कर रखा है। जिसमें भी दिनांक 19.05.17 को फोलोअप केम्प न्यायालय हाजा में उक्त पत्रावली पेश हुयी जिसमें भी प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रा0पत्र पेश किया जिसके तथ्य भी उक्त वाद में पेश प्रा0पत्र के समान थे। पत्रावली दिनांक 22.05.18 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र काजीपुरा में पेश हुयी। उनवानी वाद व इसी खं0नं0 से सम्बन्धित अन्य प्रा0पत्र सं0 139/17 उनवानी काना वगै0 बनाम राज0 सरकार पक्षकारान ने उपस्थित होकर प्रा0पत्र बाबत् सहमति किये जाने नक्शों में तरमीम का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी खं0नं0 1192/4 शा.नं. 1230, खं0नं0 1192/5 शा.नं. 1230, खं0नं0 1192/6 शा.नं. 1230 तथा जमाबन्दी खं0नं0 1192/2, 1192/1, 1192/10, नक्शा ट्रेस वर्तमान खं0नं0 1192, पर्चा सेटलमेन्ट खं0नं0 1192/1230, प्रमाणित प्रति नक्शा सेटलमेन्ट खं0नं0 1192/1230 पेश की है।

पक्षकारान उक्त वाद सहमति पत्र के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद सहमति पत्र के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खं0नं0 1192/3 के अलावा इसी खं0नं0 के अन्य खं0नं0 1192/1230 रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1192/9, 1192, 1192/7, 1192/2, 1192/8, 1192/1 व 1192/10 की नक्शें में तरमीम करवानें जाने बाबत् प्रस्तुत किया है जिसमे सें खं0नं0 1192/4 श.नं. 1230 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 1192/5 श.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1192/6 शा.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा का सेटलमेन्ट नक्शें में तरमीम हो रखी है उसी अनुसार वर्तमान नक्शें में तरमीम किया जावे तथा शेष खं0नं0 जिनका कुल रकबा 51 बीघा 9 विस्वा जमाबन्दी में दर्ज है

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक
बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस० मुकाम सांभर लेक

सुवाराम बनाम मुन्नाराम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नंबर 120/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रेमचन्द महला व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खं0नं0 1192/3 के अलावा इसी खं0नं0 के अन्य खं0नं0 1192/1230 रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 1192/9, 1192, 1192/7, 1192/2, 1192/8, 1192/1 व 1192/10 की नक्शें में तरमीम करवानें जाने बाबत् प्रस्तुत किया है जिसमे सें खं0नं0 1192/4 श.नं. 1230 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 1192/5 श.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 1192/6 शा.नं. 1230 रकबा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 24 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 1192/1229 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा का सेटलमेन्ट नक्शें में तरमीम हो रखी है उसी अनुसार वर्तमान नक्शें में तरमीम किया जावे तथा शेष खं0नं0 जिनका कुल रकबा 51 बीघा 9 विस्वा जमाबन्दी में दर्ज है किन्तु नक्शा ट्रेस में भूमि 49 बीघा 14 विस्वा है इस कारण नक्शें में जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार 1 बीघा 15 विस्वा भूमि कम रहती है उक्त 1 बीघा 15 विस्वा भूमि को समस्त खातेदार 51 बीघा 9 विस्वा के अपने अपने हिस्सें/रकबें में अनुपातिक भूमि कम कर राजस्व नक्शें में तरमीम की सहमति दिये जाने से तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। ....निज .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मुबलिग.................................... बाबत्...................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी बशरह.. तक..................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..................
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner